फाइल नं0-71-3099/106/2020-03

50/2026/I/1258967/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 09 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-2) के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, देवरिया के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/395, दिनांक 19.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-79/2023/I/325133/2023-71-3099/106/2020-03, दिनॉक 31.05.2023 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के निर्माण कार्य हेतु वर्तमान लागत रू0 214.0583 करोड़ + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष 05 प्रतिशत की अवशेष धनराशि राज्यांश के रूप में रू0 10.7032 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

उक्त शासनादेश दिनांक 31.05.2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 10.7032 करोड़ में से आंशिक भुगतान के रूप में रू0 5.00 करोड कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित करने के साथ ही कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में अवशेष धनराशि रू0 5.7032 करोड़ ससमय समर्पित कर दिया गया था, उक्त समर्पित धनराशि रू0 5.7032 का वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित अनाहरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-01-06 मेडिकल कालेज, देवरिया (के.60/रा.40-के+रा.) हेतु मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़ के सापेक्ष स्वशासी राज्य चिकित्स महाविद्यालय, देवरिया के निर्माण कार्य पर अवशेष 05 प्रतिशत स्वीकृत धनराशि रु० 10.7032 करोड़ में से अनाहरित धनराशि रू० 5.7032 करोड़ (रू0 पॉच करोड़ सत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइड लाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. महानिदेशक/प्रधानाचार्य परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।
5. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।
6. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. महानिदेशक/प्रधानाचार्य संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।
8. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।
9. शासनादेश संख्या-42/2018/907/71-3-2018-एन0एम0-08/2018, दिनांक 14-11-2018 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,70,32,000 (रुपये पॉच करोड़ सत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050106 मेडिकल कालेज, देवरिया मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-308/दस-2025-26, दिनॉक 26 फरवरी, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या/द्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/देवरिया।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in